अनुशंसित 90773 पदों के विरुद्ध कुल 86308 महिलाओं की नियुक्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त पुलिस में कुल अधियाचित (महिला + पुरुष) 67848 पदों मे से अनुशंसित 15198 पदों के विरुद्ध 18563 महिलाओं (सिपाही, चालक एवं कक्षपाल आदि) की नियुक्ति की गयी है।

- राज्य के सभी महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया गया।
- महिला सरकारी कर्मियों को शिशु देखभाल हेतु शिशु देख-भाल अवकाश पूरे सेवाकाल में 730 दिन किया गया।
- वर्ष 2015-16 में महिला बंध्याकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुआ।
- पुलिस थाना में महिला शौचालय एवं स्नानागार की व्यवस्था- महिला पुलिसकर्मी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 40 पुलिस जिला में अवस्थित 559 थानों में महिला पुलिसकर्मियों एवं थाना में आनेवाली महिला आगन्तुकों के लिए महिला शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण कराया गया।
- गर्भवती माताओं, नवजात शिशुओं, बच्चों में कुपोषण, परिवार नियोजन एवं कालाजार के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु राज्य के आठ जिलों में राज्य सरकार एवं Bill - melinda Gates Foundation के बीच साझा कार्यक्रम के तहत **'अनन्या'** कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया।
- मानसिक रुप से रुग्ण एवं निःशक्त बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए 50 बिस्तर वाले एक विशेष आवासीय गृह **आसरा** का संचालन स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से शुरु किया गया।
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विकास, विधिक जागरुकता, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्रों उत्कृष्ट कार्य करनेवाली एक महिला को राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पुरस्कार हेतु प्रत्येक जिला से एक महिला को **मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण पुरस्कार** से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत क्रमशः 1,00,000 रु0 एवं 50,000 रु0 नकद के अलावा प्रशस्ति पत्र प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सात निश्चय के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में **जी0एन0एम0 संस्थान** तथा सभी अनुमंडलों में **ए0एन0एम0 संस्थान** की स्थापना के साथ-साथ सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज तथा राज्य के सभी जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है।
- **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना-** राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि बड़ी संख्या में बिहार के छात्र आर्थिक कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे। आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता पहुँचाने तथा राज्य में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 14.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत ले जाने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2016 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गयी। इसके तहत 12वीं उत्तीर्ण (पॉलिटेक्निक के लिए 10वीं उत्तीर्ण) इच्छुक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख रु0 तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु महिला आवेदकों को मात्र 1 प्रतिशत सरल ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

  इस योजनान्तर्गत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से अबतक कुल 79007 बालिकाओं/महिलाओं को 1331.63 करोड़ रुपये का शिक्षा ऋण वितरित किया गया है।
- **नशामुक्ति अभियान, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान -** समाज में व्याप्त अधिकांश कुरीतियों से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। इस पृष्ठभूमि में सरकार ने 5 अप्रैल, 2016 से संपूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी कर दी गई। राज्य सरकार ने बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध 2 अक्टूबर, 2017 से व्यापक **बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान** का शुभारंभ किया।
- **अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना -** समाज में जाति प्रथा को समाप्त करने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा छुआ-छूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना 2017-18 में प्रारंभ की गयी है। अंतर्जातीय विवाह अथवा दिव्यांग महिला/पुरुष के साथ विवाह करने पर जिसमें महिला एवं पुरुष की आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष से अन्यून हो तो अंतर्जातीय विवाह के लिए महिला को एवं दिव्यांगजन से विवाह के लिए दिव्यांगजन को 1,00,000 रु0 अनुदान के रुप में दिये जाने का प्रावधान है।

  अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत मार्च, 2023 तक कुल 1670 एवं 2023-24 में सितंबर, 2023 तक 165 महिला लाभार्थियों को भुगतान किया गया है। निःशक्तजन विवाह के तहत मार्च 2023 तक 1182 लाभार्थियों एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में सितंबर तक

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

134 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।

- **बिहार निःशक्तता पेंशन योजना-** इस योजना की शुरुआत वर्ष 2007-08 में की गयी है। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना में बाद में आंशिक संशोधन करते हुए वैसे तेजाब पीड़ित के मामले में जो बिहार का मूल निवासी हो या तेजाब हमलों की घटना बिहार में हुई है, को पेंशन देने हेतु दिव्यांगता की न्यूनतम अहर्ता 40 प्रतिशत की शर्त को हटा दिया गया है।
- **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना -** राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण- स्वास्थ्य-शिक्षा-स्वावलंबन पर आधारित मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना वर्ष 2018 में लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन एवं सम्पूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल-विवाह पर अंकुश लगाना तथा कुल प्रजनन दर में कमी लाना है। यह योजना राज्य की सभी कन्याओं को जन्म से लेकर स्नातक होने तक के लिए है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत क्रियान्वित होने वाली योजनाएं निम्न है-

- **मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना -** कन्या के जन्म पर माता-पिता/अभिभावक के बैंक खाते में 2,000 रु0 एवं 1 वर्ष पूरा होने तथा आधार पंजीयन कराने पर माता-पिता/अभिभावक के बैंक खाते में 1,000 रु0 देने का प्रावधान है। 2 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कन्या के सम्पूर्ण टीकाकरण कराने पर माता-पिता/अभिभावक के बैंक खाते में 2,000 रु0 देने का प्रावधान है।

  इस योजना के तहत 0-1 वर्ष आयु वर्ग के 11,26,230 कन्याओं एवं 1-2 वर्ष पूर्ण होने वाले आयु वर्ग के 1,18,441 कन्याओं को भुगतान किया गया है। संपूर्ण टीकाकरण योजना के तहत 02 वर्ष आयु वर्ग के 2,52,628 कन्याओं हेतु राशि अंतरित की गई है। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत 0-1 वर्ष आयु वर्ग (जननी एवं बाल सुरक्षा के साथ) के 2,34,897 कन्याओं हेतु राशि अंतरित की गई है।
- **मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम** के तहत वर्ग 7 से 12 तक की बालिकाओं को सैनेटरी नैपकीन के क्रय हेतु प्रावधानित 150 रु0 की राशि को बढ़ाकर 300 रु0 किया गया।

  इस योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 से अबतक कुल 1,31,99,557 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया है।
- **मुख्यमंत्री पोशाक योजना** के तहत वर्ग 1-2 में पढ़ने वाली बालिकाओं को दी जाने वाली 400 रु0 की राशि को बढ़ाकर 600 रु0 तथा वर्ग 3-5 में पढ़ने वाली बालिकाओं को दी जाने वाली 500 रु0 की राशि को बढ़ाकर 700 रु0 कर दी गई।

  इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 से अबतक कुल 1,83,40,943 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया है।
- **मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना** के तहत वर्ग 6 से 8 में नामांकित छात्राओं को दो सेट पोशाक एवं स्टेशनरी क्रय हेतु दी जाने वाली राशि को 700 रु0 से बढ़ाकर 1,000 रु0 कर दिया गया।

  इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 से अबतक कुल 1,03,05,975 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया है।
- **बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना** के तहत वर्ग 9 से 12 की छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु दी जाने वाली राशि को 1,000 रु0 से बढ़ाकर 1,500 रु0 कर दिया गया।

  इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 से अबतक कुल 75,20,054 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया है।
- **मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना** वर्ष 2018 में लागू किया गया। इसके तहत इंटर अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 10,000 रु0 की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान था। बाद में वर्ष 2021 से सात निश्चय-2 के तहत इस राशि में वृद्धि करते हुए इसे 25,000 रु0 कर दिया गया है।

  इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 से अबतक कुल 21,37,712 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया है।
- **मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना** वर्ष 2018 से लागू किया गया। इसके तहत स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को 25,000 रु0 की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान था। बाद में वर्ष 2021 से सात निश्चय-2 के तहत इस राशि में वृद्धि करते हुए इसे 50,000 रु0 कर दिया गया है।

  इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 से अबतक कुल 3,20,500 बालिकाओं को लाभ प्रदान किया गया है।
- वर्ष 2017-18 में **सबला कार्यक्रम** को सभी जिलों में लागू किया गया तथा इसके तहत उम्र सीमा घटा कर 14 से 11 वर्ष कर दिया गया।

बेटा-बेटी एक समान। दहेज-प्रथा करे सबका अपमान ।।

Nov. 2024

- घर में शौचालय नहीं होने के कारण महिलाओं को भी खुले में शौच हेतु बाध्य होना पड़ता था जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती थी। साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित होता था। राज्य सरकार ने महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा एवं प्रदूषण पर रोक की दिशा में पहल करते हुए इसे घर के सम्मान से जोड़कर **7 निश्चय के तहत एक निश्चय के रुप में 'शौचालय निर्माण, घर का सम्मान'** को अपनाया। 'शौचालय निर्माण, घर का सम्मान' भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। वर्तमान में सभी ग्रामीण एवं शहरी वार्ड खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित हो चुके हैं।
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2018-19 से लागू किया गया। इन दोनो योजनाओं के तहत इन वर्गों के अभ्यर्थियों को (महिला अभ्यर्थियों को भी) बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आगे की तैयारी हेतु एकमुश्त 50,000 (पचास हजार) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एकमुश्त 1,00,000 (एक लाख) रुपये की राशि दी जा रही है।

वर्ष 2020-2025

- 7 निश्चय-2 से संबंधित **क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरुप महिलाओं की भागीदारी** के तहत क्षेत्रीय प्रशासन जैसे पुलिस थाना, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरुप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों को इसके अनुपालन हेतु निदेश दिया गया है।

  इसके तहत 44 विभागों में कुल 10875 पदों के विरुद्ध कुल कार्यरत पदाधिकारियों की संख्या 6901 में से महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या 1058 है।
- **सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना -** राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में पास करने वाले सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों को यदि मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु राज्य सरकार द्वारा कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तो ऐसे महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी में बड़ी सहायता हो जाएगी।

  उक्त उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लाभ से अभिवंचित महिलाओं को लाभ पहुँचाने हेतु वर्ष 2021 से लागू मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रेतर तैयारी हेतु एकमुश्त क्रमशः 50,000 रु0 तथा 1,00,000 रु0 देने का प्रावधान किया गया।

  इस योजनान्तर्गत अब तक संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 56 लाभार्थियों को तथा बी0पी0एस0सी0 की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 1366 महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित कुल 108 महिला अभ्यर्थियों का 67वीं बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम रुप से चयन हुआ है।
- **मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना -** राज्य के महिलाओं के बीच उद्यमिता/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लागू किया गया है। राज्य की महिलाओं के पास स्वरोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं होने के कारण ऋण नहीं मिल पाता है। इसी कारण से इस विशेष प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया है।

  इस योजनान्तर्गत अब तक कुल 7,596 महिला उद्यमियों का चयन किया गया है। चयनित 7,596 महिला उद्यमियों में से 5,604 महिला उद्यमियों के मध्य 431.38 करोड़ की राशि वितरित की गयी है।
- **अल्पावास गृह -** वर्ष 2022 से राज्य के 11 जिलों में जिला प्रशासन के माध्यम से अल्पावास गृह संचालित किया जा रहा है। घरेलू हिंसा अथवा अन्य कारणों से किसी महिला अथवा किशोरी को अपने घर में आवासन की असुविधा होने की स्थिति में उन्हें अल्पकालीन आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य के सभी जिलों में अल्पावास गृह की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत दी जा रही है।
- **महिलाओं एवं किशोरियों को खरीद-** फरोख्त से बचाने तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु 12 जिलों में अल्पावास गृह का संचालन किया जा रहा है।
- **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनांतर्गत** वर्ष 2021 से अविवाहित इंटर पास कन्या को 10,000 के स्थान पर 25,000 रु0 और स्नातक पास कन्या को 25,000 के स्थान पर 50,000 रु0 देने का प्रावधान किया गया।

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612-2217048 पर करें।

बिहार सरकार

महिला सशक्तीकरण

बिहार सरकार की विशेष पहल

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

बिहार सरकार

महिला सशक्तीकरण

महिला सशक्तिकरण माननीय **मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार** के नेतृत्व में सरकार के द्वारा बनाए गए सुशासन के कार्यक्रम के केन्द्र बिन्दु में रहा है। वर्ष 2005 में नई सरकार के गठन के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु नायाब कार्यक्रम तैयार किए गए एवं अति महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ की गई। 'न्याय के साथ विकास' के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया है। महिलाएं, जो कि राज्य की आधी आबादी हैं, पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराओं के कारण पिछड़ी हुई थी। सरकार का प्रयास रहा कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों में सुधार कर न सिर्फ समाज में समानता की भावना लाई जाए बल्कि महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि वे विकास की राह में अपना योगदान दे सकें।

बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु न ही सिर्फ वैधानिक प्रावधानों को दृढ़ता के साथ लागू किया गया, बल्कि इनसे पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु योजनायें चलायी गयी। महिलाओं के विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए शिक्षा के प्रति रूझान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने हेतु पोशाक योजना, साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना इत्यादि चलाये गए। मेधावी छात्राओं को आगे पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति योजनाएँ, मुख्यमंत्री स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना और बालिका प्रोत्साहन योजना लागू की गयी। नौकरियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने हेतु सरकार के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में महिलाओं को **35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण** दिया गया। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में उन्हें 50 प्रतिशत का आरक्षण दे कर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन/नियुक्ति में भी उन्हें 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं गरीबी उन्मूलन के लिए वर्ष 2007 में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना **(जीविका)** को प्रारंभ किया गया जिसके अंतर्गत गरीबों के संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण तथा लेखा प्रबंधन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

सरकार के प्रयास का यह नतीजा रहा कि वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य की महिलाओं के साक्षरता दर में 20 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज हुई, जिसके कारण बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। महिलाओं में साक्षरता दर में वृद्धि का सीधा प्रभाव जनसंख्या के स्थिरीकरण पर पड़ा। वर्ष 2005 में बिहार की कुल प्रजनन दर 4.3 था जो अब 2.9 हो गया है।

वर्ष 2005-2010

- बिहार विधान मंडल से बिहार पंचायती अधिनियम, 2006 पारित होने के बाद बिहार पूरे देश में ऐसा पहला राज्य बना, जहाँ महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी कोटियों के पदों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देते हुए महिलाओं के लिए कुल 1,20,258 आरक्षित पदों के लिए चुनाव कराया गया। इसके बाद वर्ष 2007 में त्रिस्तरीय पंचायतों की तरह नगर निगमों एवं नगर निकायों के सभी कोटि के पदों पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान कर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।
- प्राथमिक शिक्षक नियोजन में **50 प्रतिशत** स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया।
- 01 जुलाई 2006 से पूरे राज्य में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना लागू की गयी, जिसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। इस योजना को बच्चों के पूर्ण टीकाकरण से भी जोड़ दिया गया है। सरकारी अस्पताल में प्रसव होने पर तथा बच्चे का टीकाकरण पूर्ण होने पर नगद राशि देने का प्रावधान किया गया।
- **मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना/मुख्यमंत्री पोशाक योजना-** यह देखा जाता था कि गरीब लोग अपनी बच्चियों को पोशाक देने में भी कठिनाई का अनुभव करते थे एवं पोशाक की कमी के कारण बच्चियाँ विद्यालय से दूर रह जाती थी। गरीब बच्चियों को स्कूल की ओर आकर्षित करने तथा प्राईवेट स्कूलों की तरह ड्रेस कोड को लेकर सरकारी स्कूलों के बच्चियों के लिए वर्ग 6 से 8 तक अध्ययनरत छात्राओं को पोशाक एवं स्टेशनरी क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की शुरुआत वर्ष **2006-07** में की गयी। बाद में वर्ग 1 से 5 में अध्ययनरत छात्राओं को भी लाभान्वित करने हेतु मुख्यमंत्री पोशाक योजना लागू की गयी।
- राज्य में 40 लाख निरक्षर महिलाओं को 6 माह की अवधि में दो लाख साक्षर दूतों के माध्यम से साक्षर करने के लिए 9 अगस्त, 2009 को **मुख्यमंत्री अक्षर आँचल** योजना प्रारंभ की गयी।
- **हुनर एवं औजार कार्यक्रम -** अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं को रोजागारोन्मुखी शिक्षा की ओर आकर्षित करने हेतु 16 वर्ष की बालिकाओं के लिए निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित 'हुनर कार्यक्रम' वर्ष 2008-09 में प्रारंभ किया गया। हुनर कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित एवं सफल अल्पसंख्यक समूह के बालिकाओं को 'औजार' योजना के तहत टूल किट के लिए 2500 रुपये की राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया। बाद के वर्षों में मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ अनु0 जाति, अनु0 जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को भी इसके तहत शामिल किया गया। अभी तक कुल 1 लाख 20 हजार से भी ज्यादा महिलाएँ इस योजना के तहत लाभान्वित हुई हैं।

वर्तमान में **'हुनर-V' के तहत 16** व्यवसायिक विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा आवंटित 65 संस्थानों के द्वारा राज्य के 13 विभिन्न जिलों में कुल 955 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) द्वारा राज्य स्कीम अन्तर्गत डोमेन स्किलिंग कार्यक्रम के तहत हुनर-V को क्रियान्वित करने हेतु 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय -** आवासीय विद्यालय के रुप में इस योजना का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में किया गया। बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का संचालन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रारंभिक स्तर पर आवासीय सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके समाज के वंचित समूहों की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव और सुलभ हो।

  वर्तमान में राज्य में 676 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं, जिनमें समाज के कमजोर वर्ग की बालिकाएं आवासीय सुविधा के साथ कक्षा 6-12 तक की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कक्षा 6 से 8 तक के लिए 535 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा कक्षा 9 से 12 तक के लिए 141 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकित बालिकाओं की संख्या 57,175 है।
- **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना -** महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तीकरण हेतु इस समेकित योजना का शुभारंभ वर्ष 2007 में हुआ। इस योजना के तहत राज्य में अल्पावास गृह सहित हेल्पलाईन योजना का प्रसार, रक्षागृह की स्थापना, पालना घर की स्थापना, कामकाजी महिला छात्रावास, सामाजिक पुनर्वास कोष की स्थापना, स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण तथा महिला सूचना एवं संसाधन केन्द्र की स्थापना का प्रावधान है।

  मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत राज्य के पांच प्रमंडलीय मुख्यालय यथा- पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर में कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना की जानी है। इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने घर-परिवार से दूर रह कर आर्थिक उपार्जन कर आत्मनिर्भर हो सकें।
- **महिला हेल्पलाईन -** मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत महिला हेल्पलाईन का प्रारंभ वर्ष 2007 में हुआ है। समाज की पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क सामाजिक-मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता एवं पुनर्वास आदि प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के सभी 38 जिलों में महिला हेल्पलाईन संचालित है।

  महिला हेल्पलाईन योजनांतर्गत 16 नवंबर, 2023 तक 58596 वादों का निष्पादन किया गया है। वर्ष 2023-24 में 294 संवासिनों को निबंधित किया गया एवं 292 संवासिनों को पुनर्वासित किया गया।
- **सामाजिक पुनर्वास कोष -** राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर 'सामाजिक पुनर्वास कोष' की व्यवस्था की गई। इस योजना का उद्देश्य घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न, सामाजिक एवं अपराधिक हिंसा, मानव-व्यापार, डायन प्रथा आदि से पीड़ित महिलाओं एवं उनके पांच वर्ष तक के आश्रित बच्चों के चिकित्सीय, शैक्षणिक एवं सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रु0 की राशि तक दी जाती है। सामाजिक पुनर्वास कोष से कुल 1,110 लाभार्थियों का भुगतान किया गया है।
- **मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना -** विद्यालय आने-जाने में होने वाली समस्याओं तथा घर से विद्यालय की दूरी की वजह से कई बार छात्राओं को पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। उनकी शिक्षा में विद्यालय और घर की दूरी रूकावट न बने तथा उन्हें शिक्षा अर्जन हेतु बढ़ावा मिले तथा विद्यालयों में लिंगानुपात कम हो, इस उद्देश्य से वर्ष 2007-08 में इस योजना की शुरुआत की गई। राज्य के राजकीय/ राजकीयकृत/ प्रोजेक्ट/ अल्पसंख्यक/अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/ संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को साईकिल क्रय करने हेतु 2,500 रु0 उपलब्ध कराया जा रहा था। सरकार द्वारा इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रु0 कर दिया गया है।

  राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को साईकिल क्रय करने हेतु वर्ष 2022-23 में 5,25,303 छात्राओं को राशि उनके खाते में अंतरित की गई है।
- **जीविका-बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना -** राज्य सरकार समावेशी विकास का नजरिया रखते हुए सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है। सरकार के इन्हीं प्रयासों में एक है जीविका स्वयं सहायता समूहों का गठन। वर्ष 2007 में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (जीविका) को प्रारंभ किया गया। बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं गरीबी उन्मूलन के लिए जीविका एक सशक्त कार्यक्रम है।

  यह वर्तमान में राज्य के सभी 534 प्रखंडों में लागू है। इसके अंतर्गत गरीबों के संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण तथा लेखा प्रबंधन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। जीविका समूहों के प्रयास से महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ और वे अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति सजग हुई हैं। जीविका के समूह सदस्यों के प्रयास का परिणाम है कि आज बिहार में शराब का उपभोग प्रतिबंधित है तथा खुले में शौच से मुक्ति हेतु लोग संकल्पित हो रहे हैं।

  जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह से आच्छादित परिवारों की संख्या वर्तमान में 130 लाख हो गयी है एवं 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। 69,257 ग्राम संगठन एवं 1650 क्लस्टर लेवेल फेडरेशन्स कार्यरत हैं। अब तक 9.49 लाख स्वयं सहायता समूहों का बैंक से संबद्ध किया गया है जिनकी बचत राशि 1928.16 करोड़ रु0 है।
- **लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना** का प्रारंभ वर्ष 2007-08 में हुआ। इस योजनान्तर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय रुपये 60,000 रुपये से कम हो या जो बी0पी0एल परिवार की हो परन्तु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो, को 400 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है।

  इस योजनांतर्गत नवंबर, 2023 तक 7,82,579 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** का प्रारंभ वर्ष 2009-10 में हुआ। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना है। इस योजनान्तर्गत 40-79 वर्ष आयु-वर्ग की विधवा महिला जो बी0पी0एल0 परिवार से संबंधित हो, को प्रतिमाह 400 रु0 एवं 80 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 500 रु0 दिया जाता है। वर्ष 2016 से सभी पेंशन योजनाओं में डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है।

  इस योजनांतर्गत नवंबर, 2023 तक 6,06,495 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
- **मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना** का प्रारंभ वर्ष 2007-08 में किया गया। बालिका भ्रूण हत्या को रोकने एवं कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु लागू इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मी बालिकाओं को 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- **कन्या विवाह योजना** का प्रारंभ वर्ष 2007-08 में किया गया। निर्धन परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करने, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से लागू इस योजना के तहत मैट्रिक पास कन्याएँ, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 60 हजार रुपये से कम है, को विवाह के अवसर पर 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- वर्ष 2008-09 से **जेंडर बजटिंग** की शुरुआत की गई। इसमें महिलाओं के लिए किए जा रहे प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध होती है। जेंडर बजट के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं महिलाओं के लिए बजट के माध्यम से वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। पहली बार प्रस्तावित जेंडर में दस प्रमुख विभागों में महिलाओं के कल्याणार्थ कर्णाकित राशि का उल्लेख किया गया।
- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं एवं बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु राज्य स्तर पर 2009 महोत्सव आयोजित किया गया।
- 2008 में वैशाली में सैनिटरी नैपकिन निर्माण इकाई की स्थापना की गयी।
- 2009 में राष्ट्रीय बालिका दिवस (24 जनवरी) पर 6 माह के विशेष कार्यक्रम **हमारी मुनिया** की शुरुआत की गयी। 6 जिलों- औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली और पटना में आंगनबाड़ी केन्द्र के स्तर पर बालिका प्रोत्साहन की अभिनव प्रक्रिया और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- विधवा पेंशन के लिए आय और आयु सीमा समाप्त (न्यूनतम 18 वर्ष अपरिहार्य) की गयी।
- मानव व्यापार रोकने एवं पीड़ितों के पुनर्वास हेतु मार्गदर्शिका **अस्तित्व** निर्गत किया गया। राज्य स्तरीय अभियोजना अनुश्रवण समिति गठित की गयी। पाँच जिलों यथा- सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णियां एवं अररिया में ग्राम स्तरीय मानव व्यापार विरोधी निकाय की स्थापना की गयी।
- राज्य में पहली बार 2006 में **महिला बटालियन का गठन किया गया।**

वर्ष 2010-2015

- राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों एवं 4 रेल पुलिस जिलों में एक-एक **महिला थाना** की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के पदों का सृजन किया गया है।
- **सबला कार्यक्रम-** 11-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ पूरक पोषाहार प्रदान करने हेतु यह योजना सबला के नाम से केवल 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2012 में लागू किया गया। इसके अन्य उद्देश्य स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, प्रजनन संबंधी शिक्षा के अलावा घर आधारित कौशल और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर जीवन स्तर में सुधार करना था।
- **बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना-** गरीब बच्चियों को स्कूल की ओर आकर्षित करने तथा प्राईवेट स्कूलों की तरह ड्रेस कोड को लेकर सरकारी स्कूलों के वर्ग 1 से 8 के बच्चियों के लिए पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना/मुख्यमंत्री पोशाक योजना की सफलता को देखते हुए वर्ग 9 से 12 की छात्राओं को पोशाक की राशि उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2011-12 में **बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना** की शुरुआत की गई। इसके तहत वर्ग 9 से 12 की छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु प्रति छात्रा 1,000 रु0 उनके बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता था, जिसमें वृद्धि करते हुए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अब बालिकाओं को 1,500 रु0 की राशि दी जा रही है।
- **महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना-** सर्व शिक्षा अभियान के तहत अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के विद्यालय से बाहर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तालीमी मरकज वर्ष 2008-09 से दिसंबर 2012 तक संचालित किये गये। कालांतर में राज्य सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार करते हुए दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य इन वर्गों विशेषकर महिलाओं में साक्षरता को बढ़ावा देना एवं इन समुदायों के बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत टोला सेवक/शिक्षा स्वयंसेवी अपने टोले के 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को जमा कर प्रारंभिक तैयारी करा कर प्रतिदिन एक साथ विद्यालय ले जाते हैं। इसके साथ ही वे 15-45 आयु वर्ग की निरक्षर महिलाओं को दोपहर में एक घंटे तक पढ़ाने एवं बाद में टोलों में संपर्क का कार्य भी करते हैं।

  शिक्षा सेवक के द्वारा अब तक 45,51,519 बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराने के साथ-साथ 71.98 लाख महादलित, दलित एवं अति पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को साक्षर बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4.85 लाख शिशुक्षुओं को साक्षर बनाया गया है।
- **स्कूलों में मीना मंच का गठन-** 21,238 विद्यालय संकुलों में कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं के लिए मीना मंच का गठन किया गया। इन मंचों के द्वारा बालिकाओं द्वारा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध और बालिका शिक्षा के पक्ष में आवाज बुलंद किया जाता है।
- वर्ष 2011 को **सुरक्षित मातृत्व वर्ष** के रूप में घोषित किया गया।
- राज्य के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रत्येक माह की 15 वीं तारीख (टी0एच0आर0) वितरण दिवस को लाभार्थियों की सभा द्वारा चयनित सामाजिक अंकेक्षण एवं निगरानी समिति के माध्यम से आँगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यान्वयन एवं वित्तीय प्रक्रियाओं में होने वाली अनियमितताओं को दूर करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ किया गया।
- **आदर्श दम्पत्ति योजना** के नाम से एक अनूठी योजना 16 मई 2012 से प्रारंभ की गयी। इस योजना अंतर्गत नवविवाहित दम्पतियों को शादी के दो वर्ष के पश्चात पहले बच्चे के जन्म पर 500 रुपये तथा एक संतान वाले दम्पतियों को पहले बच्चे एवं दूसरे बच्चे के जन्म में तीन वर्षों का अंतराल होने पर 500 रुपये तथा दो बच्चों वाले दम्पत्तियों को उत्प्रेरित कर परिवार नियोजन का स्थायी विधि सुनिश्चित करवाने पर 1,000 रुपये आशा कार्यकत्री को देने का प्रावधान किया गया।
- राज्य में महिला सशक्तीकरण के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु महिला विकास निगम के अधीन **राज्य महिला संसाधन केन्द्र** की स्थापना की गयी।
- हिंसा से पीड़ित महिलाओं को त्वरित चिकित्सकीय, विधिक एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लेडी एलीगीन अस्पताल, गया तथा सदर अस्पताल, भागलपुर में **वन स्टॉप क्राइसिस सेन्टर** की स्थापना की गयी।
- राज्य के सीमावर्ती 31 प्रखंडों की बालिकाओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करने और क्षेत्र आधारित व्यवसायों में दक्ष करने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम **ज्ञान ज्योति** प्रारंभ की गयी।
- भूतपूर्व सैन्य कर्मियों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान की राशि 8000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये किया गया।
- सभी 38 जिलों में महिला पुलिस थाना की स्थापना की गयी।
- कार्य-स्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के आलोक में कार्य स्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किया गया एवं शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया।
- **रक्षा गृह -** अनैतिक पणन की शिकार महिलाओं एवं किशोरियों के सुरक्षित आवासन, प्रशिक्षण, एवं पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के सामाजिक सशक्तिकरण उपघटक के अन्तर्गत पटना प्रमंडल में एक 50 शैय्या वाले रक्षा गृह के संचालन वर्ष 2015 से एक स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है।
- **रक्षा गृह,** पटना में वर्ष 2022-23 तक कुल 97 पीड़ित महिलाओं एवं 84 किशोरियों को पुनर्वासित किया गया है। संचालन बंद होने की स्थिति में गृह में रह रही 13 महिलाओं एवं किशोरियों को उत्तर रक्षा गृह, गाय घाट, पटना में स्थानांतरित किया गया है।

वर्ष 2015-2020

- राज्य में लैंगिक असमानता, जाति, वर्ग और संरचनात्मक एवं संस्थागत बाधाओं को दूर करने तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों तक महिलाओं की न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने तथा उनके समग्र विकास हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करने के लिए मार्च, 2015 से **बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति, 2015** लागू की गयी है।
- **राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने हेतु सात निश्चय से संबंधित 'आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार'** के तहत सरकार के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में महिलाओं को **35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण** का प्रावधान वर्ष 2016 में किया गया।

  इसके तहत कुल अधियाचित (महिला + पुरुष) 360214 पदों में से महिलाओं के लिए